आदर्श निर्देशिका
(विकासकर्ताओं हेतु)

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन

योजना का शुभारम्भ 25.05.26	विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय पता :– मैसर्स मनसुख बिल्डर्स एंड डवलपर एल.एल.पी 1 फलोर, प्लाट न. 5–सी, श्री गुलाब टॉवर, निर्माण नगर, ए बी डीसी एम, जयपुर–302019	आवेदन की अन्तिम तिथि 24.06.26

योजना का नामः –सिटी होम मनसुख मिरेकल

रेरा पंजीयन क्रमांक– RAJ /P/2025/4211

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्ड/फ्लैट्स का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना

1.	योजना में भूखण्ड	24
2.	आवंटन दर	8000.0 प्रति वर्ग मीटर
3.	आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन	25.06.26
4.	आवेदनकर्ताओं द्वारा वेबसाईट एवं कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	26.06.26 से 27.06.26
5.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	29.06.26
6.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन अवधि	30.06.26
7.	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	03.07.26 1 फलोर, प्लाट न. 5–सी, श्री गुलाब टॉवर, निर्माण नगर, ए बी डीसी एम, जयपुर–302019 समय दोपहर 02.00 बजे

योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम व शर्ते इत्यादि वेबसाइट www.mansukhewslig.in पर देखी जा सकती है।

विकासकर्ता के हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की आदर्श निर्देशिका

1. योजना का विवरणः–

1.	**योजना में भूखण्ड**	**24**
2.	**आवंटन दर**	**8000.0 प्रति वर्ग मीटर**
3.	**आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन**	**25.06.26**
4.	**आवेदनकर्ताओं द्वारा वेबसाईट एवं कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि**	**26.06.26 से 27.06.26**
5.	**प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि**	**29.06.26**
6.	**प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन अवधि**	**30.06.26**
7.	**पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान**	**03.07.26** 1 फलोर, प्लाट न. 5–सी, श्री गुलाब टॉवर, निर्माण नगर, ए बी डीसी एम, जयपुर–302019 **समय दोपहर 02.00 बजे**
	मोबाईल नं.	9782753728

सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रो में विकासकर्ता द्वारा करवाया जावेगा।

क्र.सं.	**विवरण**	**कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी**	**अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी**
	भूखण्ड का क्षेत्रफल	30–45 वर्गमीटर	45–75 वर्गमीटर
1.	योजना में भूखण्ड की संख्या	12	12
2.	(i) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)	300000 / – प्रति वर्ष	300001 से 600000 / – प्रति वर्ष
	(ii) आवंटन दर अ– आवासीय राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर	आरक्षित दर का 80 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर
	(iii) पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)	10000 / –	20000 / –

सामान्य शर्ते :–

1.1 प्रत्येक योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क रु. 500/– (EWS), 1000/-, (LIG) (Non-refundable) निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाईन जमा कराना होगा। प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि योजना के लिए जमा करानी होगी।योजना के लिए आवेदन करना होगा।

1.2 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग सीमा एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन हेतु निर्धारित पंजीकरण शुल्क आवेदित योजनाओ व श्रेणी के अनुसार जमा करवाना होगा।

1.3 योजनाओं में आवेदक की आय वर्ग के लिए निर्धारित भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन नही किया जा सकेगा।

1.4 एक मोबाईल नम्बर से एक योजना में एक ही आवेदन किया जा सकेगा। एक योजना में एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से अलग–अलग आवेदन करने पर समस्त आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

1.5 योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखण्डों के ग्रुप के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन होने पर, आवंटी स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा / होगी।

1.6 आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के पश्चात चार्ज बैंक के माध्यम से प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का रिफण्ड लिए जाने की स्थिति में ऐसे आवेदन लॉटरी में सम्मिलित नही किए जाऐंगे और यदि ऐसे आवेदको को कोई भूखण्ड लॉटरी में आवंटित हो जाता है तो आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

1.7 आवेदक द्वारा लॉटरी के पश्चात चार्ज बैंक के माध्यम से प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का रिफण्ड लिए जाने की स्थिति में ऐसे आवेदक भविष्य में जविप्रा की योजनाओं में आवेदन के पात्र नही होगे।

1.8 आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो एवं बैंक खाता संख्या एवं आई. एफ.एस. कोड सही एवं खाता चालू स्थिति में हो। ई–मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर स्वंय आवेदक का बैंक खाता संख्या//IFS कोड अंकित करना अनिवार्य है। असफल आवेदक का बैंक खाता संख्या सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

1.9 पंजीकरण राशि का डी.डी. विकासकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कराना होगा।

1.10 असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड विकासकर्ता के कार्यालय से आवेदन करने पर आवेदक को आवेदन करने पर उसी बैंक खाते के डी.डी. के माध्यम से वापस (Refund) कर दिया जाएगा।

1.11 संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है लेकिन संयुक्त नाम के बैंक खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा।

1.12 आवेदन पत्र में भूखण्ड के लिए वार्षिक आय वित्तीय वर्ष–2024–25 अथवा 2025–26 के आधार पर एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा।

1.13 तकनीकी कारणों से Online आवेदन असफल होने की स्थिति में, पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर, यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकी कारणों से सफल हो जाता है, तो प्रथम आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित करते हुए द्वितीय एवं तृतीय बढ़ते हुए क्रम में सफल आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन असफल होने की स्थिति में नया आवेदन आय श्रेणी इत्यादि में परिवर्तन करते हुए आवेदन कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी प्रथम आवेदन को स्वीकार किया जाकर शेष आवेदन लॉटरी से हटा दिये जाएगे तथा प्रथम आवेदन लॉटरी में सफल होने पर दस्तावेजों की जांच में अयोग्य पाया जाता है तो प्रथम आवेदन की सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी।

1.14 1.14.1 लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में नाम, मोबाईल नम्बर एवं आय ग्रुप में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

1.14.2 अन्य प्रकार के संशोधन स्वंय आवेदक द्वारा अपने आवेदन संख्या से संशोधन निरस्त करने की निर्धारित अवधि में ऑनलाईन किए जा सकेंगे।

1.14.3 यदि किसी आवेदक द्वारा गलत नाम, मोबाईल नम्बर, तथा आय वर्ग व अन्य किसी कारण से आवेदन ऑनलाईन निरस्त किया जाता है, तो निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक आवेदन निरस्त के पश्चात पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

1.14.4 लॉटरी से पूर्व निर्धारित आवेदन तिथि तक निरस्त एवं संशोधन अवधि में स्वंय आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन निरस्त किए जाने की स्थिति में प्रक्रिया शुल्क की राशि को छोड़कर शेष पंजीकरण राशि लॉटरी सम्पावित होने के उपरान्त लौटा दी जाएगी।

1.15 आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि प्राप्त होने मात्र से, प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने हेतु किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

1.16 राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा, बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्तें बदलने पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

1.17 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।

1.18 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

2. आवेदन करने की प्रक्रिया :

2.1 भूखण्डों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.mansukhewslig.in के माध्यम से ऑनलाईन स्वीकार किए जाएगें।

2.2 आनेंलाईन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क का भुगतान Net Banking Credit Card व Debit Card इत्यादि के माध्यम से किया जा सकेगा।

2.3 पंजीकरण राशि का डी.डी. विकासकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कराना होगा।

3. आवेदन की पात्रता :

3.1 राजस्थान का मूल निवासी (Bonafide resident of the Rajasthan) हो ।

3.2 आवेदक की आयु, आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य हैं।

3.3 आवेदक के स्वंय के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजनाओं की अवधि में चालू होना चाहिए।

4. आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग :

4.1 आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2024–25 अथवा 2025–26 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की गणना की सभी स्त्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। आवेदक के परिवार की परिभाषा में स्वयं के साथ निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित है –

i- पुरूष के मामले में पत्नी, तथा महिला के मामले में पति।

ii- अविवाहित पुत्र उसके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने या मासिक 9500/– रूपये से अधिक आय कमाने तक, जो भी पहले हो।

iii- अविवाहित पुत्री उसके शादी होने तक या मासिक 9500/– रूपये से अधिक आय कमाने तक, जो भी पहले हो।

iv- माता–पिता, जो आवेदक पर पूर्णतः आश्रित हो और माता–पिता की प्रति माह आय 9500/–रूपये से ज्यादा नहीं हो।

स्पष्टीकरण इस प्रयोजन के लिए पुत्र/पुत्री में विधिक रूप से गोद लिये गए पुत्र/पुत्री भी सम्मिलित है।

4.2 ऐसे आवेदक, जो आयकर विवरणिका भरते हैं, उन्हें आई.टी.आर./ फार्म 16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

5. भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :

5.1 आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप किसी एक निर्धारित आरक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता हैः–

केन्द्र सरकार के कर्मचारी/राज्य सरकार के कर्मचारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी *				अनु.जनजाति			अनु.जाति			अधिस्वीकृत पत्रकार			ट्रांसजेंडर व्यक्ति	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)			अनारक्षित श्रेणी		
	10%			6.43%			8.57%			2%			2 %	10%			61%		
	5 % विकलांग	10 % विकलांग एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य	5 % विकलांग	10 % विकलांग एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य	5 % विकलांग	10 % विकलांग एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य	5 % विकलांग	10 % विकलांग एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य		शहीद सैनिक की विधवा या शहीद के आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब)	अन्य सैनिक (स)	5 % विकलांग	10 % विकलांग एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य
EWS																			
LIG																			

* प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में भू–खण्डों की संख्या निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार गणना करने पर 0.5 भूखण्ड या अधिक होने पर एक भू–खण्ड रखा गया है एवं 0.5 से कम भूखण्ड होने पर इसे छोड दिया गया है।

** राज्य सरकार / उपक्रमोंध्राजकीय अधिकरण के नियमित रूप से चयनित कर्मचारी, जो कि वर्तमान में परिवीक्षा पर हैं, वे भी इस हेतु पात्र होंगे।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 17 (10) नविवि/द्वितीय/ 2021 जयपुर दिनांक 04.01.2021 के अनुसार आवंटन के समय आरक्षित भूखण्डों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

i. EWS के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 300000/– प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ii- निम्न आय वर्ग (LIG) के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 300001/– से 600000/– प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ii- राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त 10 वर्ष तक की अवधि में विधवा महिला जिनके पति के मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय रूपये 6,00,000/– से ज्यादा नहीं होगी।

iv- निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिला की सकल वार्षिक आय रू. 80000/– प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त वर्ग के आवेदक को संबंधित तहसीलदार से निराश्रित एवं भूमि विहीन महिला होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त वर्ग की महिला को निर्धारित आय वर्ग के अनुसार केवल EWS श्रेणी के भूखण्डों में आरक्षण देय होगा।

v- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के आरक्षण का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर भूखण्डों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदक को किया जाएगा।

5.2 राजस्थान सरकार/राज्य के स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों एवं केन्द्र सरकार के कार्मिको / व्यक्तियों को अपने नियोजक / विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.3 राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदको को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.4 दिव्यांगजन (विकलांग)/ विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5.5 सैनिक वर्ग में भारत की थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित है।

5.6 आवेदक, जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है, उस परिवार से मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।

5.7 सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।

5.8 सैनिक को पूर्व में किसी भी नगरीय निकाय की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह / परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

5.9 अन्य सैनिक (कार्यरत / सेवानिवृत) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएगें।

5.10 सैनिक श्रेणी में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट IV, V एवं VI के प्रारूप अनुसार 50/–रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

5.11 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन निम्न प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा :–

(अ) उन सैनिकों की विधवाएँ एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुए हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)

(ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

(स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

(द) इसके लिए सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

5.13 आवेदक द्वारा गलत श्रेणी में आवेदन किए जाने पर निर्धारित अंतिम तिथि तक संशोधन/निरस्त नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र के लॉटरी में सफल होने पर दस्तावेजो की जांच के उपरान्त आवेदित श्रेणी के अनुसार दस्तावेज जमा नहीं करवाए जाने पर सम्पूर्ण पंजीयन राशि जब्त कर ली जाएगी।

<u>6. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :</u>

6.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को विकासकर्ता की वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गए फार्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज, लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर सम्बन्धित विकासकर्ता के कार्यालय में जमा कराने होगे अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा :–

- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए)।

- पहचान हेतु फोटोयुक्त वोटर आई.डी./आधार कॉर्ड / ड्राइविंग लाईसेंस / पासपोर्ट/भामाशाह कार्ड आदि में से कोई भी मान्य होगें।

- सकल वार्षिक आय प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मलित करते हुए समस्त आवेदकों के लिए।

- आरक्षित भूखण्डों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी श्रेणी/वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणित / सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

- आवेदन फार्म में आवेदक को आधार कार्ड नम्बर या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा तथा कार्ड प्राप्त होने पर आधार नम्बर कार्यालय में अपडेट करना होगा। (केवल नकद/ऑनलाइन पेमेन्ट स्वीकार्य नहीं होगा केवल डी.डी. के द्वारा ही भुगतान मान्य होगा जो कि कॉलोनाइजर के अधिकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ऑनलाइन फार्म के साथ जमा कराना होगा।

6.2 संबंधित जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किए जाएगें।

6.3 लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित सम्पूर्ण राशि आवंटन मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में भूखण्ड के सर्विस नम्बर से चालान के माध्यम से नकद / बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा में संबंधित योजना के खातें में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके उपरान्त मांग राशि आगामी 31वे दिवस से आगामी 90 दिवस तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कराई जा सकती है। मांगपत्र प्राप्त होने की दिनांक से 120 दिवस में मय ब्याज राशि जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी एवं आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

6.4 भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा, कब्जा पत्र/लीज डीड जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से संभालना होगा।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :

7.1 असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड विकासकर्ता के कार्यालय से आवेदन करने पर आवेदक को आवेदन करने पर उसी बैंक खाते के डी.डी. के माध्यम से वापस (Refund) कर दिया जाएगा।

8. आवेदन पत्र अस्वीकार / निरस्त किए जाने के कारण :

8.1 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जाँच संबंधित जोन स्तर पर की जाएगी जिसमें गलत तथ्य पाए जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी।

8.2 एक ही व्यक्ति द्वारा एक योजना में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएगे।

8.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

8.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर।

8.5 आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।

8.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर ।

8.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

9. अन्य महत्वपूर्ण शर्ते :

9.1 भूखण्ड 99 वर्ष की लीजहोल्ड/फी–होल्ड पर आवंटित किए जाएगें।

9.2 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का व्यय स्वयं को वहन करना होगा। इसके पश्चात् ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जावेगा।

9.3 भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के 07 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त समझा जाएगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुए भूखण्ड को नियमित / निर्माण स्वीकृति को बढ़ाये जाने के संबंध में राज् सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश प्रभावी होंगे।

9.4 ''आवंटित भूखण्ड केवल ''आवासीय'' उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। भूखण्ड का विभाजन / पुनर्गठन प्रचलित 'भवन विनियम'' के प्रावधानों के अनुसार मान्य होगा।

10.5 सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अपरिहार्य कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाए तो विकासकर्ता द्वारा बदले

में कोई भी भूखण्ड आवंटित नहीं किया जाएगा एवं सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड के पेटे जमा राशि नियमानुसार लौटा दी जाएगी।

10.6 आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंअन निरस्त करने का समस्त अधिकार होंगे।

10.7 आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि प्राप्त होने मात्र से विकासकर्ता की इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी भी तरह से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

10.7 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विकासकर्ता का निर्णय अन्तिम होगा।

10.8 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

10.9 लाटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उनपलब्ध भूखण्ड की संख्या में कमी अथवा बढोतरी की जा सकती है।

स्वप्रमाणित

(समस्त आवेदकों के लिए)

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं.. पुत्र/पत्नी/पुत्री.. ....आयु..निवासी..शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, किः–

1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नही है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/दूंगी।
3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु. जाति/अनु. जनजाति/ विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस संबंध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगें, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे स्वयं पति/पत्नी तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नही हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं.. पुत्र/पत्नी/पुत्री.. शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वप्रमाणित

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. जाति............................निवासी.......................... .... तहसील.......................जिला....................राज्य....................... की स्वंय पत्नी/पति एवं आश्रित की सकल मासिक आय रू..................................... प्रतिमाह है एवं मेरा पैन नम्बर है।

स्थान :

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं..पुत्र/पत्नी/पुत्री.. शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण–पत्र

(वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. इस विभाग में.. पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार की उपक्रम की नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल मासिक आय रू........................प्रति माह हैं।

दिनांक :
स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के
हस्ताक्षर मय मोहर विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..निवासी... जिला..........................सम्भाग..........................राज्य.........................जाति......................... के सदस्य है, जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक/ सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु

(आय प्रमाण–पत्र के लिए मान्य नही होगा।)

प्रमाणित किया जाता हैं कि...(रैंक)...........................(नाम)......................... ....(नम्बर)........................

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/ वायु सेना / सीमा सुरक्षा बल / केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपये....................प्रतिमाह हैं।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपये....................प्रतिमाह थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री.................................. है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रु..............................प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नही किया हैं।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

विकलांग प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/सुश्री...
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..निवासी...
की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

....

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री...
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..निवासी...
तहसील..जिला. ....अधिस्वीकृत पत्रकार हैं।

स्थान :
दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति